बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांक : ल०सि०मो०-ज०जी०हरि०/अनि-139/20-929(मो०) /**पटना, दिनांक** : 14/5/2020

प्रेषक,

गोपाल मीणा, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय : "जल-जीवन-हरियाली" अभियान के तहत निकाली गई मिट्टी का उपयोग करने के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महाशय,

लघु जल संसाधन विभाग द्वारा "जल-जीवन-हरियाली" अभियान के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा के क्रम में ऐसा पाया जा रहा है कि अनेकों बड़े पोखरों की उड़ाही में अत्यधिक मात्रा में मिट्टी निकल रही है ।

2. लघु जल संसाधन विभाग द्वारा यह निदेश दिया गया है कि निकलने वाली मिट्टी को यथासंभव तालाबों के मेड़ पर डालकर उचित compaction कर उपयोग किया जाय ।

3. अनुरोध है कि इसके बावजूद भी अधिशेष मिट्टी का उपयोग अन्य विभागों की आस-पास के क्षेत्र में प्रगतिशील योजनाओं में कराने हेतु समन्वय किया जाय ।

4. उदाहरण के तौर पर सहरसा जिले की मत्स्यगंधा झील से निकलने वाली मिट्टी का उपयोग, जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा, सहरसा शहर में निर्माणाधीन सुपर ग्रीड परिसर की भराई में किया जा रहा है एवं उससे बची हुई मिट्टी को NH-107 के चौड़ीकरण कार्य में उपयोग की जा रही है ।

5. हर निर्माणाधीन योजना के आस-पास सरकार के अन्य विभागों की योजनाये चल रही होंगी । अनुरोध है कि इस हेतु आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जाय ।

6. सुझाव के तौर पर विद्यालय भवन परिसरों/अस्पताल परिसरों/सरकारी भवनों के परिसर भराई आदि में मिट्टी का उपयोग किया जा सकता है । इसके लिए संवेदक को कोई अतिरिक्त Lead एवं Lift नहीं दिया जायेगा ।

7. सुनिश्चित करे कि संवेदक या विभागीय अभियंताओं द्वारा तालाब उड़ाही कर मिट्टी किसी निजी व्यक्ति को बेची नहीं जाय ।

विश्वासभाजन
14/05/2020
(गोपाल मीणा)
सरकार के अपर सचिव ।